न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 29/2015 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2015/00051

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

पुनाराम पुत्र मगाजी, जाति मेघवाल निवासी नाडोल, तहसील देसुरी, जिला पाली (राज.)

1. प्रशासक ग्राम पंचायत नाडोल मार्फत सरपंच ग्राम पंचायत नाडोल, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
2. प्रसार अधिकारी पंचायत, पंचायत समिति देसूरी जिला पाली (राजस्थान)
3. घीसाराम पुत्र दौलाजी, जाति मेघवाल, निवासी नाडोल, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी
अप्रार्थी की ओर से मोहम्मद शफी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 8-11-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 घीसाराम पुत्र दौलाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 357 दिनांक 25.5.1992 को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया जाकर ग्राम पंचायत नाडोल का रेकर्ड तलब किया गया। एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा आवासीय भूखण्ड के रूप में निःशुल्क जारी किया गया। उक्त जैर निगरानी पट्टा भूमी का बिना भौतिक सत्यापन किये एक ही दिन में पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा आबादी भूमी का नियमन अथवा भूमी के आवंटन हेतु नियम 145 के तहत प्रार्थी से आवेदन प्राप्त नहीं किया गया है। तथा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात भूमी के निरीक्षण हेतु निरीक्षण शुल्क एवं नक्शा शुल्क की निर्धारित फीस प्राप्त नहीं की गई है। व फीस प्राप्त होने के पश्चात नियम 146 के तहत सचिव द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर ग्राम पंचायत की मिटींग में पेश नहीं किया गया है। व उसके पश्चात आबादी भूमी के निरीक्षण हेतु तीन पंचो की गठित कमेटी द्वारा द्वारा आबादी भूमी का निरीक्षण कर तय समयावधी में निरीक्षण प्रपत्र तैयार कर पंचायत में पेश नहीं किया गया है। तथा उक्त भूमी के संबंध में नियम 148 के तहत आपत्ति प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया है व यदि नोटिस पर कोई आपत्ति प्राप्त हो तो नियम 149 के तहत निर्णय भी नहीं किया गया है। तत्पश्चात नियम 150 के तहत भूमी की निलामी, निलामी कमेटी बनाकर बाजार दर अथवा अधिकतम दर भुमी का विक्रय करना होता है जो नहीं किया गया है तथा विक्रय राशि जमा कराने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन करने पर विक्रय विलेख का भौतिक कब्जा पक्षकार को सुपुर्द नहीं किया गया है। तथा यदि प्रस्तावित भूमी पर पुराना कब्जा हो तो नियम 156 के तहत पक्षकार से वार्ता कर भूखण्ड राशि तय की जाती है तथा नियम 151 के तहत नियमानुसार तय राशि प्राप्त कर पट्टा जारी किया जाता है जो नहीं किया गया है। अतः जैर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय उपरोक्त किसी प्रकार के नियमों की पालना किये बिना पट्टा एक ही दिन में जारी कि[illegible] है जो निरस्त योग्य है। विवादग्रस्त भूमी वक्त भूमी आवंटन [illegible] की भूमी उपलब्ध नहीं थी उक्त जैर निगरानी [illegible] पूर्व में पट्टा संख्या 1728 दिनांक 27.11.75 को प्रार्थी के पिता मगाजी पुत्र केसाजी जाति [illegible] निवासी नाडोल के पक्ष में जारी किया जा चूका [illegible] जिनके स्वर्गवास हो [illegible] वर्तमान में प्रार्थी अपने परिवार सहित मगाजी के जीवनकाल में उनके साथ एवं उनके स्वर्गवास 5.4.99 के बाद प्रार्थी का परिवार सहित जैर निगरानी आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाया गया था

क्रमश.....................2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:31:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

व प्रार्थी पेशे से श्रमिक होने से निर्माण कार्य पट्टीयों के लेवल तक आने पर रूपयों की व्यवस्था करने व मगारामजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से काम बीच में रोककर कुछ समय के लिये बाहर चला गया तथा इसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा बाले–बाले ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलावट कर विवादग्रस्त पट्टा जारी करवा दिया। जिसे जारी करते समय किसी प्रकार के नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि सरपंच का पद रिक्त होने से पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं कर प्रशासक ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा जारी किया गया है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 1728 दिनांक 27.11.75 व जैर निगरानी आराजी पट्टा संख्या 357 दिनांक 25.5.1992 एक ही भूमी पर जारी नहीं होकर अलग–अलग भूमी पर जारी किये गये जो इनके पड़ोस के अवलोकन से स्पष्ट है। तथा अप्रार्थी द्वारा सन् 2010 में उक्त आराजी पर निर्माण कार्य हेतु अनुमति ली गई थी। तथा उक्त जमीन अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीदी गई थी। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी आराजी खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस निगरानी में विचारणीय बिन्दु 2 हैं :–

1. क्या उक्त पट्टा, पूर्व में जारी पट्टे की जमीन पर जारी किया गया है ?
2. क्या उक्त पट्टा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है ?

ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में मगा पुत्र केसाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1728 दिनांक 27.11.75 व जैर निगरानी पट्टा संख्या 357 दिनांक 25.5.92 के पत्रावली संलग्न फोटोप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों के समस्त पड़ोस मेल नहीं खाते है। तथा न ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश किए गए है जिससे यह जाहिर होता हो कि पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी का भी यह कथन रहा है कि दोनों पट्टे भिन्न जमीनों के है, तथा एक ही जमीन पर होना साबित नहीं होता है। अतः एक ही भूमी पर प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे पर पट्टा जारी किया जाना सिद्ध नहीं होता है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

ग्राम पंचायत द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/ग्रा.पं. नाड़ोल/2020–21/664 दिनांक 05.01.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि उक्त पट्टे से संबंधित मिसल व पट्टा 357 दिनांक 25.5.1992 ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है अतः मिसल व मूल पट्टा प्रति के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय प्रक्रिया का पालन किया गया अथवा नहीं यह फैसला किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 357 दिनांक 25.5.1992 जो ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 घीसाराम पुत्र दौलाजी के पक्ष में जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:31:03 IST
Reason: SelfAttested